UPFR010027412025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट), फर्रूखाबाद।

उपस्थितः– तरूण कुमार सिंह–प्रथम----------एच०जे०एस० J.O.Code–UP6264

अन्तिम आख्या– 712/2025

राज्य प्रति **वादी मुकेश कुमार**

अपराध संख्या – 83/2024

धारा – 147, 302, 120B, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट

थाना– को० फतेहगढ़

जिला– फर्रूखाबाद

दिनांक– 16.06.2026

पत्रावली पेश हुयी। अन्तिम आख्या पर वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर उभयपक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है।

विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या– 83/2024, **धारा –** 147, 302, 120B, 504, 506 भा.दं.सं. व धारा 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट, **थाना–** को० फतेहगढ़, **जिला–** फर्रूखाबाद के मामलें में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट संख्या 37/2024, दिनांकित 09.06.2024 प्रस्तुत की गयी है।

प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध वादी मुकदमा मुकेश कुमार ने सशपथ प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र 12A दिनांकित 26.09.2025 दाखिल किया।

वादी मुकदमा मुकेश कुमार ने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में वादी है तथा प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में 156(3) सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत मुकदमा अभियुक्तगणो के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा मुकदमें में अन्तिम आख्या लगाकर भेज दी गयी तथा प्रार्थी के भाई की हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की गयी थी। जिसके साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। उपरोक्त मुकदमा की विवेचना दो बार की गयी। जिसमें दोनो विवेचकों ने भिन्न–2 विवेचना की तथा भिन्न–2 अभियुक्तगणों के बयान अंकित किये, जिससे यह सिद्ध होता है कि दोनो विवेचक अभियुक्तगणों से मिलकर और जानबूझकर इतने बडे संगीन अपराध में अन्तिम आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो निरस्त होने योग्य है। अभियुक्ता रिंकी पुत्री राममिस्टर के 161 सी०आर०पी०सी० के बयान में प्रथम विवेचक के द्वारा मनगढन्त कहानी बनाकर अभियुक्ता रिंकी के बयान अंकित किये और विवेचक कहीं पर भी अभियुक्ता का मोबाइल नम्बर व मृतक का मोबाइल नम्बर को अंकित न कर एक भारी विधिक गलती (त्रुटि) कीं इसलिए अन्तिम आख्या निरस्त किये जाने योग्य है। द्वितीय विवेचक द्वारा अपनी विवेचना में अभियुक्ता रिंकी के बयानों में यह स्वीकार

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.06.16 14:43:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया है तथा अपनी विवेचना में अंकित किया है कि अभियुक्त व मृतक की आपस में बातचीत होती थी और घटना वाले दिन मृतक व अभियुक्ता रिंकी की बातचीत हुई थी और अभियुक्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन ऊँटपटॉग बातचीत हुई थी और यह भी कहा कि मै उसे बराबर समझाती रही थी, जिससे यह घटना को कारित करना प्रतीत होता है। पुलिस द्वारा विवेचना की गयी वह पूर्णतः असत्य निराधार कथनों पर आधारित है। प्रार्थी/वादी, मुकदमें को लड़ना चाहता है और माननीय न्यायालय में चलाना भी चाहता है विवेचक द्वारा उपरोक्त मुकदमें में घोर लापरवाही की गई है इसलिए उपरोक्त मुकदमें के दोनो विवेचको को विरूद्ध कार्यवाही कर अभियुक्तगणों को तलब किया जाना न्यायहित में परम आवश्यक है। अतः दोनों विवेचकों को लापरवाही को देखते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही कर अभियुक्तगणों को तलब किये जाने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं./प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीमुकदमा मुकेश कुमार का छोटा भाई अमन उम्र लगभग 19 वर्ष नेकपुर कला फतेहगढ़ में स्थित पी० के० तिवारी के मकान में किराये पर कमरा लेकर पढ़ाई कर रहा था। जिसका चयन एस०एस०बी० में हो गया था जो 25/02/2024 को ट्रेनिंग हेतु जाने को था। प्रार्थी का भाई शिवा ने दिनांक 09/02/2024 को करीब 4:30 बजे फोन कर सूचना दी कि कमरे में बेड पर अमन भैया की लाश पड़ी है, प्रार्थी ने तत्काल मौके पर जाकर अपने भाई की लाश को देखा और घटना की सूचना कोतवाली फतेहगढ़ में दी कि उसके भाई की हत्या की गई है, हत्या के बाद लाश को बेड पर रखा गया है। प्रार्थी के भाई का प्रेम प्रसंग गाँव की रिंकी से चल रहा था तथा विवाह हेतु बार्ता चल रही थी, जिससे रिंकी की मां ओमा ठाकुर ने अपने वर्तमान पति रामिस्टर, दामाद संदीप एवं अपने भांजे छोटेलला व रिंकी के साथ जाकर विवाह रचाने का षडयंत्र कर प्रार्थी के भाई अमन की गले में कपडे का फंदा लगाकर कमरे में हत्या कर दी है। घटना के बाद छोटेलला ने दिनांक 09.02.2024 को अपने मोबाइल नं0–9935653217 एवं रामिस्टर पुत्र रतीपाल ने अपने मो0 नं0–9621970629 से 10–2–2024 को प्रार्थी को धमकी दी कि साले घुबेटे ठाकुरों की लड़की से विवाह रचाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, अगर साले ज्यादा ज्यादा कानूनी कानूनी कार्यवाही की तो तेरी भी लाश का पता नहीं चलेगा।

विवेचक के द्वारा विवेचना करने के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट इस आधार पर प्रेषित की गयी है कि वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट व अपने कथनों में नामितों द्वारा अपने भाई को फांसी पर लटकाया जाना अंकित किया गया है, जबकि अभियोग से सम्बन्धित नामितों के मोबाइल नम्बर प्राप्त कर सीडीआर निकलवायी गयी। सीडीआर के अवलोकन से पाया गया कि नामितों की लोकेशन घटना के दिनांक 08.02.2024 को फर्रुखाबाद में नहीं पायी गयी और न ही छोटेलला व रामिस्टर द्वारा वादी मुकदमा मुकेश कुमार को कभी कॉल कर जान से मारने की धमकी देने जैसी घटना की गयी है। अभियोग में की गयी समस्त विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर वादी मुकदमा मुकेश कुमार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। अत अभियोग को साक्ष्य के अभाव में जरिये अन्तिम रिपोर्ट सं0 37/2024 दिनांक 09.06.2024 को समाप्त की जाती है।

विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट एवं वादीमुकदमा द्वारा प्रस्तुत सशपथ प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दिनांकित 26.09.2025 के सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीमुकदमा मुकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में थाना को० फतेहगढ़ में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियुक्तगण ओमाठाकुर, रिंकी, रामिस्टर, सन्दीप एवं छोटेलला के विरूद्ध दर्ज की गयी थी। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट संख्या 37/2024, दिनांकित 09.06.2024 प्रस्तुत की गयी, जिस पर वादी की ओर से प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र दिनांकित 26.09.2025 दाखिल किया गया है।

पत्रावली में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट का.सं. 8A/2 में चिकित्सक की राय में मृतक अमन की मृत्यु का कारण Asphyxia as a result of Antemorterm hanging बताया गया है तथा पंचायतनामा रिपोर्ट का.सं. 8A/3 में पंचों की राय में मृतक की मृत्यु फांसी लगने के कारण होना बताया गया है तथा उ.नि. की भी राय पंचान से मेल खाती है।

इस तरह से प्रस्तुत प्रकरण में मृतक की मृत्यु हैंगिग से होना पायी जा रही है तथा वादीमुकदमा द्वारा अभियुक्तगण के नाम–पते तहरीर में स्पष्ट रूप से अंकित किये गये है तथा मामलें के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियां ज्ञात है, इसलिए मामले में न्यायालय द्वारा स्वयं कार्यवाही किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रस्तुत मामले को बतौर परिवाद दर्ज कर मुकदमें को निस्तारित किया जाना न्यायोचित है, तद्नुसार प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट संख्या 37/2024, दिनांकित 09.06.2024 **निरस्त** किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अन्तिम रिपोर्ट संख्या 37/2024, दिनांकित 09.06.2024 **निरस्त** की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण बतौर परिवाद दर्ज किया जाए। तद्नुसार प्रकीर्णवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली वास्ते वादी का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० दर्ज किए जाने हेतु दिनांक 22–07–2026 को पेश हो।
दिनांकः **16.06.2026**

(**तरूण कुमार सिंह– I**)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 02/
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
फर्रुखाबाद।